छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक – 01/वि.स./संपदा /2016 रायपुर, दिनांक 03/11/2016

निविदा विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में गनमेटल की स्वामी विवेकानन्द की एक 14 फीट की प्रतिमा तथा डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी की बस्ट आकार की 02 से 03 फीट आकार की प्रतिमा निर्माण हेतु प्रतिष्ठित शिल्पकारों/निर्माताओं से सीलबंद निविदा दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को सायं 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । निविदाकार को उनके द्वारा पूर्व में निर्मित व स्थापित की गई मुर्तियों के फोटो के साथ जिस स्थान के लिये निर्मित की गई उसका पूरा नाम, क्रयादेश की प्रति व प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

निविदा एक अथवा दोनों प्रतिमा हेतु प्रस्तुत की जा सकती है । दोनों प्रतिमाओं हेतु निविदा पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक है व लिफाफे पर तदनुसार उल्लेख भी करें । निविदा की विस्तृत शर्तें / जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाईट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

निविदा की शर्तें/जानकारी

1. प्रतिमाएं लॉस्ट वेक्स प्रोसेस (Lost wax process) द्वारा बनाई जाना चाहिए ।
2. गन मेटल की मोटाई 8/10 m.m. रहेगी ।
3. प्रतिमाओं का अनुमोदन विधानसभा सचिवालय से क्ले स्टेज से कराया जाना होगा ।
4. प्रतिमाओं की सतह को शोभावर्धक काई की परत देकर (Patina Coat) तैयार किया जाए, पैंट फिनिश (Paint finish) देकर नहीं ।
5. निविदाकार द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रतिमाओं की हार्ड कॉपी तथा साफ्ट कॉपी फोटो संलग्न करना होगी । साथ ही विधानसभा सचिवालय द्वारा चाहे जाने पर निर्मित की जाने वाली प्रतिमाओं का पावर पाईंट प्रेजेन्टेशन सचिवालय में स्वयं के व्यय पर करना होगा ।
6. प्रतिमा के वजन का उल्लेख पृथक–पृथक करना होगा । डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी की प्रतिमा की ऊंचाई का भी उल्लेख करना होगा ।
7. निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 50,000/– का बैंक ड्राफ्ट प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर के नाम से बनवाकर निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
8. प्रतिमाओं को निविदाकर्ता द्वारा विधानसभा में निर्देशित स्थान में स्वयं के व्यय पर स्थापित करनी होगी ।
9. प्रतिमा का प्रदाय दिनांक तथा विधानसभा में उसकी स्थापना की तिथि का निविदा में स्पष्ट उल्लेख करना होगी ।
10. निविदा निर्धारित तिथि व समय तक स्वीकार्य की जावेगी, पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदओं पर विचार नहीं किया जाएगा । वांछित जानकारी पूर्ण रूप से नहीं देने पर भी निविदा योग्य नहीं होगी ।
11. किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का सर्वाधिकार प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।
12. किसी भी विवाद पर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

भुगतान की विधि

कुल लागत राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम क्ले मॉडल स्वीकृति के पश्चात् , 40 प्रतिशत राशि प्रतिमा की ढलाई के पश्चात् तथा शेष राशि का भुगतान प्रतिमा विधानसभा में स्थापित किये जाने के पश्चात् की जाएगी ।

निरीक्षण

क्ले मॉडल के अनुमोदन के पश्चात् प्लास्टर मॉडल के समय तथा प्रतिमा पूर्ण होने पर विधानसभा भेजने के पूर्व निविदाकर्ता द्वारा अधिकृत अधिकारियों/व्यक्तियों को निरीक्षण करवाया जाएगा ।

कार्यानुभव

1. निविदाकर्ता को गन मेटल प्रतिमा निर्माण क्षेत्र में पर्याप्त अनुभवी होना चाहिए ।
2. निविदाकर्ता द्वारा अब तक निर्मित की व स्थापित की गई गन मेटल प्रतिमाओं का पूर्ण विवरण स्थान, तिथी आदि निविदा में दिया जाना अनिवार्य होगा ।

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.